न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।
उपस्थितः– श्री ज्योति कुमार त्रिपाठी (एच.जे.एस.)
सत्र परीक्षण संख्या– 09 / 2022
UPCD010000612022

सरकार प्रति हरिओम गोस्वामी वगैरह

आरोप

मैं ज्योति कुमार त्रिपाठी, सत्र न्यायाधीश, चन्दौली,

आप अभियुक्तगणः–

1. हरिओम गोस्वामी पुत्र राधेश्याम गोस्वामी, 2. हरेराम गोस्वामी पुत्र राधेश्याम गोस्वामी, 3. लालमनी पत्नी राधेश्याम गोस्वामी,

निवासीगण– फेसुडा, थाना–सैयदराजा, जनपद–चन्दौली,

पर निम्न आरोप लगाता हूंः–

प्रथमः– यह कि दिनांक 20–10–2021 को किसी समय स्थान ग्राम फेसुड़ा, थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली में आप लोगों ने अपने सामान्य आशय की पूर्ति में मुकदमा वादिनी की पुत्री पूनम गोस्वामी की पैसो की मांग पूरी न होने पर गला दबाकर हत्या कर दिया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा.दं.सं. की धारा 302 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप लोगों ने वादिनी की पुत्री की हत्या कारित कर हत्या का साक्ष्य विलोपित करने के आशय से उसके शव को फांसी से लटका कर उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा 201 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को आदेशित किया जाता है कि आप लोगों का विचारण उक्त आरोपों के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(ज्योति कुमार त्रिपाठी)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

दिनांकः– 05–05–2022

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार किया तथा विचारण का दावा किया ।

(ज्योति कुमार त्रिपाठी)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

दिनांकः– 05–05–2022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।
उपस्थितः— श्री ज्योति कुमार त्रिपाठी (एच.जे.एस.)
सत्र परीक्षण संख्या— 09 / 2022
UPCD010000612022

सरकार प्रति हरिओम गोस्वामी वगैरह

05—05—2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण हरिओम गोस्वामी व हरेराम गोस्वामी जेल से जेल से तलब होकर तथा अभियुक्ता लालमनी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। आरोप के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया। अभियोजन ने उन साक्ष्यों का उल्लेख किया जो अभियुक्त के विरूद्ध सिद्ध किये जाने हैं। उक्त के आधार पर अभियुक्तगण हरिओम गोस्वामी, हरेराम गोस्वामी एवं लालमनी पर भा.दं.सं. की दण्डनीय धारा 302 सपठित धारा 34 एवं 201 भा.दं. सं. का आरोप लगाये जाने के संदर्भ में पत्रावली में पर्याप्त सामग्री मौजूद है। अतः अभियुक्तगण पर आरोप लगाये जाने का आदेश दिया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

लंच बाद पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित है। उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण हरिओम गोस्वामी, हरेराम गोस्वामी एवं लालमनी पर भा.दं.सं. की दण्डनीय धारा 302 सपठित धारा 34 एवं 201 भा.दं.सं. का आरोप लगाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार किया तथा परीक्षण का दावा किया।

आरोप—पत्र के साक्षीगण तलब किये जाएं। साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 30—05—2022 को प्रस्तुत हो।

सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।